भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3218
दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश जाने वाले उत्प्रवासियों संबंधी आंकड़े

3218. **श्री शफी परम्बिलः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास अध्ययन और विदेशों में रोजगार के लिए विदेश जाने वाले उत्प्रवासियों के संबंध में नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्प्रवासियों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने और संकलित करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कोई अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) मंत्रालय उन भारतीय कामगारों के संबंध में डाटा रखता है जिनके पास उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट हैं और जो ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से 18 अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देशों में से किसी देश में रोजगार के लिए जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान इन ईसीआर देशों में ऐसे भारतीय कामगारों के प्रवास से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्रदान की गई उत्प्रवास मंजूरी की संख्या
2024 (1st दिसंबर तक)	3,55,851
2023	3,98,317
2022	3,73,435
2021	1,32,675
2020	94,145

विदेश में भारतीय छात्रों से संबंधित आंकड़े विदेश स्थित भारतीय मिशनों/कोंसलावास से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एकत्र किए जाते हैं। मिशन/ कोंसलावास विदेश में पढ़ने वाले उन भारतीय छात्रों के आधार पर यह डाटा एकत्र करते हैं जो उनकी वेबसाइटों पर पंजीकरण करते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 तक लगभग 1.33 मिलियन भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) एवं (घ) जनवरी, 2018 में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत प्रस्थान–पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विदेश, विशेषकर खाड़ी और अन्य ईसीआर देशों में जाने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों, के कौशल में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी कामगारों को एक दिवसीय निःशुल्क अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उन्हें गंतव्य देश के स्थानीय कानून एवं नियम, संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को समझने में मदद मिल सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रवासी कामगारों को सुरक्षित और वैध प्रवासन के तरीकों के बारे में जागरूक करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है, तथा उन्हें भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पहलों, जैसे भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ), प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), मदद पोर्टल आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

*****